राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 11(2)नियोवि/ब.घो./2017-18/20998 जयपुर, दिनांक 16/2/18

बैठक कार्यवाही विवरण

बजट घोषणा संख्या 148 वर्ष 2017-18 की अनुपालना में मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल क्रय करने हेतु गठित क्रय समिति की दिनांक 14.02.2018 को प्रातः 11.30 बजे निदेशालय विशेष योग्यजन स्थित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में प्री बिड बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुये :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/प्रतिनिधि
1.	अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन
2.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन
3.	मण्डलीय अधीक्षक, मोटर गैराज विभाग, जयपुर
4.	परिवहन निरीक्षक, परिवहन विभाग, जयपुर
5.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन
6.	श्री निर्झर कुमार उपाध्याय, प्रतिनिधि, हीरो मोटर्स लि.।
7.	श्री टी.पी. सिंह, प्रतिनिधि, टी.वी.एस. मोटर्स लि.।

उक्त बैठक में हीरो मोटर्स एवं टी.वी.एस. मोटर्स के प्रतिनिधियों द्वारा मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल के रजिस्ट्रेशन हेतु लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस, ओ.टी.टी. मय सरचार्ज, ग्रीन टैक्स, स्मॉर्ट कार्ड फीस एवं टी.सी.सी. फीस की राशि से परिवहन विभाग से प्राप्त कर अवगत कराने कहा गया ताकि उक्त राशि मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल के निविदा प्रपत्र में शामिल की जा सकें।

इस क्रम में परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन का प्रथम पंजीयन संबंधित विभाग के अधिकारी के नाम से किया जा सकेगा तत्पश्चात जिस विशेष योग्यजन को संबंधित टू-व्हीलर आवंटित किया जाना है उन विशेष योग्यजनों के नाम से स्वामित्व हस्तान्तरण किया जायेगा। जिसके लिए निम्न फीस बतलाई गई :-

1. **प्रथम पंजीयन के समय**

(1) स्मार्ट कार्ड-	200/-
(2) कर चुकता प्रमाण पत्र-	100/-
कुल-	**300/-**

2. स्वामित्व हस्तान्तरण

(1) स्वामित्व हस्तान्तरण फीस–	150/–
(2) स्मार्ट कार्ड–	200/–
(3) कर चुकता प्रमाण पत्र–	100/–
कुल–	**450/–**

बैठक में प्राईस शिड्यूल (बी.ओ.क्यू.) में भी जी.एस.टी. एवं फ्रैट चार्जेज टू–व्हीलर एवं रेट्रोफिटमेन्ट के साथ ही अंकित किये जाने एवं अन्य टैक्स की क्र.सं. पर बदलाव पर सुझाव प्राप्त हुये। इसको नियमानुसार निविदा प्रपत्रों में शामिल माना जाये।

(अनुपमा जोरवाल)
निदेशक